



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या-5831-गोपन(06)/पाकालि/13-1सा०गो०/13,

दिनांक 12, अगस्त,

गोपनीय/अनुस्मारक

1. प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं कैसको, कानपुर।
2. निजी सचिव निदेशक (वित्त, वितरण, पारेषण, कारपोरेट प्लानिंग, वर्क्स एण्ड प्रोजेक्ट्स),
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
3. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र०पा०का०लि०, महानगर, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),
उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन (विस्तार), लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्तागण (स्तर-01 एवं 02), उ०प्र०पा०का०लि०।
6. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/उपमहाप्रबन्ध (लेखा)/समस्त मुख्य एवं उप मुख्य लेखाधिकारीगण,
उ०प्र०पा०का०लि०।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्तागण/अधिशासी अभियन्तागण, उ०प्र०पा०का०लि०।
8. कारपोरेशन मुख्यालय/विस्तार स्थित समस्त अधिकारी/अनुभाग/शिविर कार्यालय।

विषय - वर्ष 2012-13 हेतु वार्षिक गोपनीय आख्याओं का ससमय अंकन एवं मुख्यालय में उपलब्धता में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में।

महोदय,

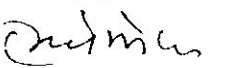
कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-581-गोपन(06)/पाकालि/13-1सा०गो०/13 दिनांक 07.02.13 एवं अनुस्मारक सं०-2000-गोपन(06)/पाकालि/13-1सा०गो०/13, दिनांक 15.05.13 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु अभियन्ता/गैर अभियन्ता संवर्ग अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं के अंकन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी करते हुए सभी अधिकारियों वार्षिक गोपनीय आख्याएं निर्धारित समयावधि में कारपोरेशन मुख्यालय में प्राप्त कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर जारी, स्वांकन के प्रस्तुतिकरण एवं वार्षिक गोपनीय आख्या अंकन की प्रक्रिया के निर्धारण विषयक दिशानिर्देशों के बावजूद ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि इस अत्यन्त महत्व विषय के प्रति अधिकारियों द्वारा पूरी गम्भीरता से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जिस फलस्वरूप मुख्यालय स्तर से इस सम्बन्ध में पत्राचार किये जाने से अनावश्यक समय नष्ट होता है एवं सेवा सम्बन्ध विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण में भी बाधा उत्पन्न होती है।

कारपोरेशन के संज्ञान में आया है कि वार्षिक गोपनीय आख्याओं के अंकन में मुख्य रूप प्रतिवेदक अधिकारीगण निर्धारित प्रक्रिया/नियमों का ससमय पालन नहीं कर रहे हैं तथा कई प्रकरणों में प्रतिवेदक अधिकारी जानबूझ कर आख्याएं अपने स्तर पर रोके रखते हैं। फलस्वरूप समीक्षक/सहसमीक्षक एवं अनि अधिकारियों के मूल्यांकन सहित प्रश्नगत आख्याएं कारपोरेशन मुख्यालय तक पहुंचने में अत्याधिक समय लगता है।

कारपोरेशन द्वारा इस तथ्य को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए यह निर्देशित किया जाता है अब तक स्वांकन प्राप्त होने अथवा न होने दोनों ही स्थिति में प्रतिवेदक अधिकारी स्वयं अधीनस्थ अधिकारियों आख्याएं उक्त तथ्य सहित अंकित कर समीक्षक अधिकारी को अविलम्ब अग्रसारित करें। इस आदेश के निर्गमन तिथि से 20 दिवसों के भीतर यदि प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी/अधिकारियों के मूल्यांकन सहित आख्याएं अनि अधिकारी को नहीं प्राप्त होती हैं तो अन्तिम अधिकारी को अधिकृत किया जाता है कि वह स्वयं प्रतिवेदी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने के साथ ही अपने मूल्यांकन/अभिमत सहित प्रश्नगत आख्याएं कारपोरेशन मुख्यालय प्रत्येक दशा में दिनांक 10.09.13 तक उपलब्ध करा दें एवं साथ ही सम्बन्धित प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी के भी सूचित करें, जिससे कि उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कारपोरेशन स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की सकें। वार्षिक गोपनीय आख्याओं के ससमय निर्धारित प्रक्रियानुरूप अंकन एवं कारपोरेशन मुख्यालय में उन उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी कार्य को समस्त अधिकारियों द्वारा अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए इस सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपेक्षित है।

भवदीय,


(राधे मोहन)

निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०)